

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3033  
06 अगस्त, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य मेला योजना

3033. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत स्वास्थ्य मेला योजना शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ख) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएचएम के तहत स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया है एवं इससे लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ऐसे स्वास्थ्य मेला के आयोजन के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराती है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में से प्रत्येक के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित/जारी/उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों विशेषकर महाराष्ट्र में ऐसे और अधिक मेलों का आयोजन करने का है; और

(च) यदि हां, तो जिला-वार और ब्लॉक स्तर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार)

(क) से (ङ): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं और स्वास्थ्य मेले का आयोजन करने सहित स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है तथापि, राष्ट्रीय

स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण जिसमें अन्य सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम के साथ-साथ स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन शामिल है, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। ऐसी सहायता मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार राज्यों से उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित होती है। स्वास्थ्य मेला योजना के प्रमुख उद्देश्य अनुलग्नक-I हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यों को उनके प्रस्तावों के आधार पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करने के लिए निधि प्रदान की गई है। वर्ष 2018-19 में जारी की गई निधि और गत तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई निधि का ब्यौरा अनुलग्नक-II और III पर है।

### स्वास्थ्य मेला योजना के उद्देश्य

- i. विभिन्न संचारी और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम के लिए लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना।
- ii. स्वास्थ्य व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए नवोन्मुख मास मीडिया और मिड मीडिया गतिविधियों के माध्यम से लाभार्थियों को प्रेरित करना।
- iii. प्रारंभिक निदान के लिए स्क्रीनिंग, रेफरल सहित बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं, विशेष सेवाएं और नैदानिक सेवाएं प्रदान करना।
- iv. सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऐसे विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक करना जिनसे वे ऐसी सेवाओं का लाभ उठा सकें।

| अनुलग्नक-II   |                 |              |
|---|-----------------|--------------|
| स्वास्थ्य मेले के लिए एनएचएम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार धनराशि जारी करने को दर्शाने वाला विवरण<br>(करोड़ रु. में) |                 |              |
| क्र.सं.   | राज्य           | 2018-19      |
|   |                 | निर्गत       |
| 1   | आंध्र प्रदेश    | 1.72         |
| 2   | अरुणाचल प्रदेश  | 0.30         |
| 3   | असम             | 1.49         |
| 4   | बिहार           | 2.65         |
| 5   | दिल्ली          | 0.43         |
| 6   | गोवा            | 0.20         |
| 7   | गुजरात          | 1.79         |
| 8   | हरियाणा         | 0.73         |
| 9   | हिमाचल प्रदेश   | 0.46         |
| 10  | जम्मू और कश्मीर | 0.66         |
| 11  | झारखंड          | 0.93         |
| 12  | कर्नाटक         | 1.92         |
| 13  | केरल            | 1.46         |
| 14  | महाराष्ट्र      | 3.31         |
| 15  | मणिपुर          | 0.40         |
| 16  | मेघालय          | 0.30         |
| 17  | नगालैंड         | 0.02         |
| 18  | उड़ीसा          | 1.52         |
| 19  | पुदुचेरी        | 0.08         |
| 20  | पंजाब           | 0.93         |
| 21  | तमिलनाडु        | 2.71         |
| 22  | त्रिपुरा        | 0.30         |
| 23  | उत्तर प्रदेश    | 5.36         |
| 24  | उत्तराखंड       | 0.53         |
| 25  | पश्चिम बंगाल    | 2.91         |
|   | <b>सकल योग</b>  | <b>33.11</b> |



वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए एनएचएम के तहत स्वाभाविक रूप से लोगों के एकत्रित होने/स्वास्थ्य मेले को लक्षित करने संबंधी व्यय को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण

लाख रु. में

| क्र.सं.                       | राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम | 2018-19       | 2019-20       | 2020-21       |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>क. उच्च फोकस राज्य</b>     |                                  |               |               |               |
| 1                             | बिहार                            | 75.46         | 16.86         | 6.15          |
| 2                             | छत्तीसगढ़                        | 9.86          | 1.49          | 1.51          |
| 3                             | हिमाचल प्रदेश                    | 229.16        | 100.34        | 56.71         |
| 4                             | जम्मू और कश्मीर                  | -             | -             | -             |
| 5                             | झारखंड                           | 29.97         | 22.91         | 12.92         |
| 6                             | मध्य प्रदेश                      | -             | -             | -             |
| 7                             | ओडिशा                            | 0.76          | 23.32         | 25.93         |
| 8                             | राजस्थान                         | 48.30         | -             | 15.33         |
| 9                             | उत्तर प्रदेश                     | 38.65         | 340.46        | 217.64        |
| 10                            | उत्तराखंड                        | -             | -             | 0.61          |
|                               | <b>उप-योग</b>                    | <b>432.16</b> | <b>505.38</b> | <b>336.79</b> |
| <b>ख. पूर्वोत्तर राज्य</b>    |                                  |               |               |               |
| 11                            | अरुणाचल प्रदेश                   | 11.66         | -             | 1.80          |
| 12                            | असम                              | 163.97        | 44.76         | 63.04         |
| 13                            | मणिपुर                           | 0.20          | 0.75          | -             |
| 14                            | मेघालय                           | 13.20         | 10.12         | 3.44          |
| 15                            | मिजोरम                           | -             | -             | -             |
| 16                            | नगालैंड                          | 7.50          | 10.00         | -             |
| 17                            | सिक्किम                          | 0.95          | 1.56          | -             |
| 18                            | त्रिपुरा                         | 4.33          | 14.25         | 6.34          |
|                               | <b>उप-योग</b>                    | <b>201.81</b> | <b>81.43</b>  | <b>74.62</b>  |
| <b>ग. गैर-उच्च फोकस राज्य</b> |                                  |               |               |               |
| 19                            | आंध्र प्रदेश                     | -             | -             | -             |

|  |                                  |                 |               |               |
|--|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 20                                     | गोवा                             | 0.06            | 0.42          | 0.63          |
| 21                                     | गुजरात                           | 199.36          | 139.66        | 78.95         |
| 22                                     | हरियाणा                          | 11.24           | 6.36          | 3.73          |
| 23                                     | कर्नाटक                          | -               | 20.56         | -             |
| 24                                     | केरल                             | 7.37            | 6.12          | 5.24          |
| 25                                     | महाराष्ट्र                       | 259.51          | 3.12          | 7.05          |
| 26                                     | पंजाब                            | 26.20           | 39.37         | 20.50         |
| 27                                     | तमिलनाडु                         | -               | -             | 5.52          |
| 28                                     | तेलंगाना                         | -               | -             | -             |
| 29                                     | पश्चिम बंगाल                     | 0.06            | 0.21          | 71.63         |
|  | <b>उप-योग</b>                    | <b>503.80</b>   | <b>215.83</b> | <b>193.25</b> |
| <b>घ. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र</b> |                                  |                 |               |               |
| 30                                     | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह     | -               | -             | -             |
| 31                                     | चंडीगढ़                          | -               | -             | -             |
| 32                                     | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 1.99            | 0.33          | -             |
| 33                                     | लद्दाख                           | -               | -             | -             |
| 34                                     | दिल्ली                           | 15.46           | -             | -             |
| 35                                     | लक्षद्वीप                        | -               | -             | -             |
| 36                                     | पुदुचेरी                         | -               | 7.75          | -             |
|  | <b>उप-योग</b>                    | <b>17.45</b>    | <b>8.08</b>   | <b>-</b>      |
|  | <b>सकल योग</b>                   | <b>1,155.22</b> | <b>810.72</b> | <b>604.66</b> |

नोट:

- व्यय में केंद्रीय रिलीज, राज्य रिलीज और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित राशि शामिल है।
- उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट की गई वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट (एफएमआर) के अनुसार हैं, अतः यह अनन्तिम है।

\*\*\*\*\*